

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत, गोला बाजार (गोरखपुर), मुण्डेरा बाजार (गोरखपुर), मेंहदावल  
(संतकबीरनगर), कटघर लालगंज (आजमगढ़), भलुअनी (देवरिया), अम्बेहटा (सहारनपुर),  
भगवन्तनगर (उन्नाव), छतारी (बुलन्दशहर), निचलौल (महाराजगंज), पुरदिलनगर (हाथरस),  
टिकैतनगर (बाराबंकी), गायघाट (बस्ती), तालबेहट (ललितपुर), मथौली (कुशीनगर)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर पंचायत, गोला बाजार (गोरखपुर), मुण्डेरा बाजार (गोरखपुर), मेंहदावल (संतकबीरनगर), कटघर लालगंज (आजमगढ़), भलुअनी (देवरिया), अम्बेहटा (सहारनपुर), भगवन्तनगर (उन्नाव), छतारी (बुलन्दशहर), निचलौल (महाराजगंज), पुरदिलनगर (हाथरस), टिकैतनगर (बाराबंकी), गायघाट (बस्ती), तालबेहट (ललितपुर), मथौली (कुशीनगर) में स्थित तालाबों के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु **रु. 511.08 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरण के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में **रु0 257.00 लाख ( रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख मात्र )** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-66/2016/1120/नौ-5-2016-42बजट/2016 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।


8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
  9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
  10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
  11. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
  12. कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।
  13. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त, विभाग को दे दी जाय।
  14. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,57,00,000 ( रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801930700 नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

  
भवदीय  
24.02.2024  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-318/2024/1216/नौ-5-2024/003-Computer No-1780563-NJPTS, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
- 3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 4- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 5- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- संबंधित अध्यक्ष, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- 8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
- 9-निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

  
आज्ञा से  
24.02.2024  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-318/2024/1216/नौ-5-2024/003-Computer No-1780563-NJPTSY दिनांक 24 फरवरी, 2024  
(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	गोरखपुर	नगर पंचायत, गोला बाजार	बाबाघाट पर अरुण तिवारी के घर के पीछे घाट का निर्माण कार्य।	39.14	20.00
		नगर पंचायत, मुण्डेरा बाजार	गोरखपुर वार्ड नं० 10 (राघोपुर/रामनगर) में पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य।	39.50	20.00
2.	संतकबीरनगर	नगर पंचायत, मेंहदावल	वार्ड नं० 1 में तालाब की डीवाटरिंग, जलकुंभी निकलवाना, सिल्ट सफाई, मिट्टी निकलवाना, जलसंरक्षण एवं पौधा रोपड का कार्य।	39.93	20.00
3.	आजमगढ़	नगर पंचायत, कटघर लालगंज	वार्ड नं० 10 दीनदयाल नगर में खाकी बाबा मन्दिर पोखरे पर स्टेयर/घाट प्लेट फार्म आर०सी०सी० इत्यादि का कार्य।	30.48	15.00
4.	देवरिया	नगर पंचायत, भलुअनी	भलुअनी-महई मार्ग पर स्थित पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य।	30.00	15.00
5.	सहारनपुर	नगर पंचायत, अम्बेहटा	मो० कोटला होदसती तालाब के सौन्दर्यीकरण के लिए 120 वाट एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट मय 9 मीरट जी०आई० ओक्टागोनल पोल सहित एवं पश्चिम व दक्षिण दिशा वाली बाड़ड़ी वाल पर जाली लगाने व पेंटिंग का कार्य।	30.00	15.00
		नगर पंचायत, अम्बेहटा	मौहल्ला गुहा में तालाब की सफाई, खुदाई, रिटेनिंग वाल व सौन्दर्यीकरण कार्य।	30.00	15.00
6.	उन्नाव	नगर पंचायत, भगवन्त नगर	फूलमती मंदिर तालाब का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	29.95	15.00
7.	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, छतारी	मो० आजाद रोड नई बस्ती का पोखरा गाटा संख्या-860 के सौन्दर्यीकरण कार्य।	29.30	15.00
8.	महराजगंज	नगर पंचायत, निचलौल	लोहिया नगर में संजय कश्यप के घर के बगल में छठ घाट एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	39.91	20.00
9.	हाथरस	नगर पंचायत, पुरदिलनगर	वार्ड नं० 8 पथवारी गेट में तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	29.82	15.00
10.	बाराबंकी	नगर पंचायत, टिकैतनगर	खसरा संख्या-111 में स्थित तालाब का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	44.19	22.00
11.	बस्ती	नगर पंचायत, गायघाट	वार्ड नं० 10 महिर्ष बाबा बसावन नगर में कोहरगढ़दे पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य।	29.86	15.00
12.	ललितपुर	नगर पंचायत, तालबेहट	मानसरोवर तालाब पर घाट निर्माण, प्रकाश व्यवस्था एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	30.00	15.00
13.	कुशीनगर	नगर पंचायत, मथौली	वार्ड नं० 03 रानी लक्ष्मीबाई नगर के बाबू टोला में पोखरे का सौन्दर्यीकरण कार्य।	39.00	20.00
योग:-				511.08	257.00

रु० 257.00 लाख ( रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख मात्र )

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-24/02/2024

प्रेषण संख्या:- 318  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-318-2024-1216-9-5-2024-003-CN-1780563-NJPTSY  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
80 - सामान्य  
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता  
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	सहारनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 16339100	3000000 16339100
2	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 3250000	1500000 3250000
3	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 19555500	4000000 19555500
4	बस्ती-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 8000000	1500000 8000000
5	आजमगढ़-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 8685000	1500000 8685000
6	देवरिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 8800000	1500000 8800000
7	उन्नाव-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 16461000	1500000 16461000
8	बाराबंकी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 2200000	2200000 2200000
9	ललितपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 3900000	1500000 3900000
10	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 9100000	2000000 9100000
11	कुशीनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4000000	2000000 4000000
12	हाथरस-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
13	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 33740000	2000000 33740000
	<b>योग</b>	वर्तमान प्रगामी	25700000 135530600	25700000 135530600

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्तावन लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ पचपन लाख तीस हजार छः सौ

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव